

State through Srilal Paswan Vs Laxman Yadav and others
Spl. SC/ST GR No. 53 of 2024
Alauli PS Case No. 187 of 2024
CIS No. 101 of 2024)

जिला- खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह- विशेष
न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

Spl. SC/ST GR No. 53 of 2024
Alauli PS Case No. 187 of 2024
CIS No. 101 of 2024)

राज्य (द्वारा श्रीलाल पासवान)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. लक्ष्मण यादव,
पिता-सुलो यादव
2. सुलो यादव,
पिता-चलित्तर यादव
3. शिवम कुमार,
पिता-उदय चौधरी
सभी साकिन- शहरबन्नी, थाना अलौली, जिला खगड़िया।
4. अमरजीत यादव,
पिता-रामपुकार यादव
साकिन-तिलकपुर, थाना तिलकेश्वर, जिला दरभंगा।
5. अजीत यादव,
पिता-महेश्वर यादव
साकिन- तिलकेश्वर, थाना तिलकेश्वर, जिला दरभंगा।

..... अभियुक्तगण

आरोपित धाराएँ 341/34, 323/34, 387/34, 504/34, 506/34 IPC,
U/s 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) SC/ST Act

अभियोजन की ओर से - श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह
विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से - श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार-II**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 04था जून 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त लक्ष्मण यादव,
सुलो यादव, शिवम कुमार, अमरजीत यादव, अजीत यादव के
विरुद्ध धारा 341/34, 323/34, 387/34, 504/34, 506/34 IPC,
U/s 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप का



State through Srilal Paswan Vs Laxman Yadav and others

Spl. SC/ST GR No. 53 of 2024

Alauli PS Case No. 187 of 2024

CIS No. 101 of 2024)

गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक श्रीलाल पासवान के टंकित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसका वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.05.24 को समय करीब 11..30 बजे रात में (1) लक्ष्मण यादव, सन्नी यादव, अमरजीत यादव इन सभी व्यक्ति के साथ कुछ अज्ञात लोग साथ में था जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये सभी लोग अचानक मेरे घर पर एकसाथ चारों तरफ से दौरे लिया एवं लक्ष्मण यादव अपने हाथ में श्रीनट एवं रायफल लेकर उपर लिखे सभी आदमी को आदेश दिया मादरचोद दुसाध का सभी मिलकर गाय-भैंस खोलो एवं पूरे घर को लूटो अगर कोई दुसाध बोले तो साला सभी दुसाध पर गोली चलाना शुरू कर दो, इसके आदेश पर मेरे घर के पास बंधा हुआ गाय सुलो यादव खोल लिया एवं बंधा हुआ भैंस अमरजीत यादव खोल लिया। जैसे ही मेरे द्वारा गाय-भैंस खोलने से रोका गया और मेरे द्वारा शोर एवं हल्ला किया गया कि मुझे बचाओ, घर में डकैती कर रहल छ शोर हल्ला सुनकर पवन पासवान, शीतल पासवान, नन्दे पासवान, जयकिशुन पासवान, दीपक पासवान, विजय पासवान, अजित पासवान, अशोक चौधरी एवं अन्य कई ग्रामीण झुंड में आये। इस झुंड को आते देख सभी अपराधी जो उपर नामांकित है, श्रीनट एवं रायफल लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते रंगदारी के रूप में 2 लाख रुपया पहुँचाने हेतु धमकी देते हुए भाग गया। सभी ग्रामीण के पहुँचने पर हमलोगों के द्वारा 112 नंबर पर कॉल किया गया। जिस पर थाना से 112 नंबर गाड़ी आया और मामले का छानबीन कर रिपोर्ट करते हुए गांव से वापस थाना की ओर चले गये जैसे ही थाना की गाड़ी 112 वापस गया ठीक उसके कुछ मिनट बाद पुनः लक्ष्मण यादव, अजित यादव जो कि सुलो यादव का जमाई है, शिवम् कुमार, एक स्कारपीओ एवं टेम्पु पर सवार होकर कुछ अज्ञात आदमी में नहीं जानता हूँ, सभी पुनः मेरे घर के पास गाली-गलौज करने लगा। सभी आदमी के हाथ में श्रीनट एवं रायफल था। लक्ष्मण यादव, शिवम् कुमार, अजित यादव सभी मिलकर कहने लगा माधरचोद दुसाध थाना 112 को बुलाया तो



State through Srilal Paswan Vs Laxman Yadav and others
Spl. SC/ST GR No. 53 of 2024
Alauli PS Case No. 187 of 2024
CIS No. 101 of 2024)

क्या हुआ। आज हमलोग तुम्हारे परिवार को मारकर गांव में दहशत फैलाकर कराइम का शुरुआत करेंगे ताकि कोई हर से बोल नहीं सके। तभी पुन सभी ग्रामीण को आते देख सभी अपराधी टेम्पु एवं स्कारपीओं पर सवार होकर भाग गया। इसके बाद हम लगभग 50 आदमी से लगभग तीन बजे अलौली थाना आये।

3. सूचक के द्वारा दिये गये फर्दब्यान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। तदनुरूप अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त ट य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एकमात्र सूचक साक्षी श्रीलाल पासवान का साक्ष्य कराया गया है तथा उन्होंने अपने मुख्य बयान में घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तथा वह चुप रहा है। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त लक्ष्मण यादव, सुलो यादव, शिवम कुमार, अमरजीत यादव, अजीत यादव के विरुद्ध गठित धारा 341/34, 323/34, 387/34, 504/34, 506/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) SC/ST Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य



State through Srilal Paswan Vs Laxman Yadav and others

Spl. SC/ST GR No. 53 of 2024

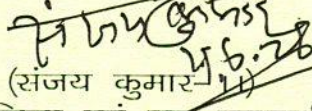
Alauli PS Case No. 187 of 2024

CIS No. 101 of 2024)

हैं। फलतः अभियुक्त लक्ष्मण यादव, सुलो यादव, शिवम कुमार, अमरजीत यादव, अजीत यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

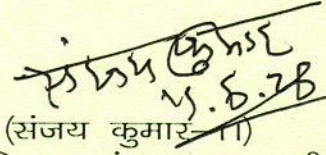
मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत


(संजय कुमार-11)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

04.06.2026




(संजय कुमार-11)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

04.06.2026

